आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। P.A.A Case No. -02/2021-22 लक्ष्मण महतो एवं अन्य **बनाम** काशीनाथ महतो एवं 16 आना रैयत। **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-17/2016-17 में दिनांक-28.06.2019/01.07.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-17/2016-17 में दिनांक-28.06.2019/01.07.2019 को पारित आदेश द्वारा काशीनाथ महतो, पिता हीरालाल महतो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आधार पर मौजा-चपाती के प्रधानी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। उभयपक्षों की और से संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल किया गया है। उभयपक्षों द्वारा दाखिल किये गये आवेदन में पूर्व प्रधान मुरलीधर महतो के द्वारा दिये गये प्रधानी पट्टा का प्राप्त होने के संबंध में उल्लेख किया गया है जबकि प्रधानी पद पर नियुक्त के विषय के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद में आगे की कार्रवाई के संबंध में अभिरूचि नहीं होने की व्यक्त किया गया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद P.A. Case No-17/2016-17 में दिनांक-28.06.2019/01.07.2019 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। उपायुक्त, जामताड़ा। उपायुक्त, जामताड़ा।	Seen 04.3.24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.03.04 16:19:24 +05:30
Location: 192.168.43.106